

भारत के राजपत्र के
असाधारण अंक, भाग-II,
खंड 3, उप खंड (iii) में
तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं. 56/2023/पीपीएस-II (एसपी)

दिनांक: 15 मई, 2023
25 वैशाख, 1945 (शक)

अधिसूचना

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 56/2019/पीपीएस-III, दिनांक 23 सितंबर, 2021, समय-समय पर यथा-संशोधित, जिसमें निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के अनुसरण में निर्गत मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के नाम एवं मुक्त प्रतीकों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है, को अद्यतनीकृत करने का निर्णय लिया है;

अतः, अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के अनुसरण में और भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (iii) में प्रकाशित अपनी पूर्वोक्त अधिसूचना सं. 56/2019/पीपीएस-III, दिनांक 23 सितंबर, 2021, समय-समय पर यथा-संशोधित, के अधिक्रमण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे संलग्न सारणी के अनुसार राज्यीय दल, ऐसे राज्य जिनमें उसे/उन्हें मान्यताप्राप्त है/हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उसके/उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक तथा उसके/उनके मुख्यालय/मुख्यालयों के डाक पते की सूची विनिर्दिष्ट करता है:-